

# CSD Car Purchase Policy for Defence officer Serving/ Retired अधिकारियों के लिए पॉलिसी में किए गए बदलाव

## 1. CSD (Canteen Stores Department) Car Purchase

**Policy** के अनुसार सभी अधिकारी जो कि तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना में सेवारत हो अथवा रिटायर हो चुके हो अथवा उनकी विधवाएं जैसा भी लागू हो वह अब **2500 CC** तक की कार को जोकि **12,00,000 रुपये तक** की हो सकती है इसमें **जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है** यानी कि जीएसटी को छोड़ करके वह खरीद सकते हैं, जबकि इससे पूर्व 12,00,000 रुपये तक की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

## 2. CSD (Canteen Stores Department) Car Purchase

**Policy** के अनुसार सभी अधिकारियों एवं उनकी विधवाओं जैसा भी लागू हो को अब 1 जून 2019 से **8 साल में एक कार** ही खरीदने की अनुमति होगी इससे पूर्व यह सीमा 4 साल की थी।

# CSD Car Purchase Policy for JCO and OR Serving/ Retired जवान एवं जेसीओ के लिए पॉलिसी में परिवर्तन

## 1. CSD (Canteen Stores Department) Car Purchase

**Policy** के अनुसार तीनों सेनाओं में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक जो कि जवान अथवा जेसीओ है, वह नयी पॉलिसी के अनुसार **1400 CC तक** की कार को खरीद सकता है परंतु वह **₹5,00,000** से अधिक की CSD बेस रेट वाली कार को नहीं खरीद सकता है। इसमें **जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है** यानी कि जीएसटी को ₹5,00,000 से अलग रखा गया है।

2. कार को खरीदने के लिए **कम से कम 6 साल की सर्विस** हो चुकी होनी चाहिए इससे पहले यह सीमा 10 साल की थी। एक कार खरीदने के बाद दूसरी कार को खरीदने के लिए **कम से कम 8 सालों का अंतर** होना जरूरी है इससे पहले यह अंतर 10 सालों का था। CSD से कार को एक बार सर्विस के दौरान एवं एक बार रिटायरमेंट के बाद खरीदा जा सकता है।

3. यदि किसी के पति अथवा पुत्र ने जो भी लागू हो उपरोक्त बताए गए अनुसार कार को खरीद लेता है तो यदि उपरोक्त बताए गए अनुसार से वह दूसरी कार खरीद सकता था तो ही उसकी पत्नी अथवा उत्तराधिकारी जो भी लागू हो कार को खरीद सकेंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है।

---

---

## CSD Car Purchase Policy for Serving Defence Civilian Officer सेवारत सिविलियन अधिकारी (paid out of Defence estimate in pay level 11 to 18)

**CSD (Canteen Stores Department) Car Purchase Policy** के अनुसार सभी सेवारत सिविलियन अधिकारी जो कि पेड आउट ऑफ डिफेंस ऐस्टीमेट इन पे लेवल 11 - 18 है वह **2500 CC** तक की कार जो कि **12,00,000 रुपये** से अधिक ना हो जिसमें कि **जीएसटी शामिल नहीं किया गया है** वह खरीद सकते हैं। कार को प्रत्येक 8 साल में (Only in Service) खरीद सकते हैं।

यह पॉलिसी एक जून 2019 से लागू होगी जो कि सभी सर्विस एवं रिटायर्ड ऑफीसर्स, जेसीओ, ओआर एवं सेवारत सिविलियन अधिकारी जोकि डिफेंस ऐस्टीमेट से पेड आउट हैं पर समान रूप से लागू होगी।

## CSD Car Purchase Policy for Honesty Lt./ Capt. ऑर्नेरी लेफ्टिनेंट एवं ऑर्नेरी कैप्टन को कौन सी कार लागू है

जिन लोगों को सर्विस के दौरान ऑर्नेरी लेफ्टिनेंट दिया गया है अथवा ऑर्नेरी कैप्टन रैंक प्राप्त होता है, उनके पीपीओ पर ऑर्नेरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑर्नेरी कैप्टन लिखा होता है इस वजह से उन्हें अधिकारी रैंक के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं सीएसडी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। **CSD (Canteen Stores Department) Car Purchase Policy** के अनुसार जिन लोगों को रिटायरमेंट के बाद ऑर्नेरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑर्नेरी कैप्टन रैंक मिलता है और उनके पीपीओ में इसका उल्लेख नहीं होता है तो उन्हें इस सुविधा से वंचित कर दिया जाता है। इन्हें वह सुविधा तभी प्रदान की जाती है जब उनके पास ऑर्नेरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑर्नेरी कैप्टन लिखा हुआ रिवाइज पीपीओ उपलब्ध हो जाए।

## CSD Car Purchase Policy for Defence Civilian, कौन से डिफेंस सिविलियन CSD से कार खरीद सकते हैं

**CSD (Canteen Stores Department) Car Purchase Policy** के अनुसार वह डिफेंस सिविलियंस जोकि 6600 रुपये ग्रेड पे या उससे अधिक की ग्रेड पे प्राप्त करते हैं, वह सीएसडी कैंटीन के माध्यम से कार को खरीदने के योग्य हैं। यह लोग सिर्फ सर्विस के ही दौरान कार को खरीद सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कार उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

